

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 2278 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025

रायपुर, दिनांक 06.03.2025

— / / आवश्यक सूचना / / —


छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2024 – सेवारत अभ्यर्थियों के सेवारत श्रेणी की पात्रता संबंधी सूचना

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा WPC No. 923/2025 Dr. P. Rajshekhar S/o. P.

Laxmi Narayan and others Vs State Of Chhattisgarh and others में पारित आदेश, दिनांक 27/02/2025 के परिपालन में प्रवेश वर्ष – 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में जमा किया गया सेवा प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता सेवारत अभ्यर्थी की श्रेणी हटाकर निम्नानुसार परिवर्तित की जाती है।

स. क.	अभ्यर्थी का नाम	नीट रोल नं.	काउंसिलिंग के आवेदन में दर्ज की गई वरीयता	सेवारत श्रेणी हेतु पात्र/अपात्र	क्या एमबीबीएस छ0ग0 में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से पूर्ण किया ?	क्या छ0ग0 राज्य के मूल निवासी है (हां/नहीं)	प्रवेश में वरीयता
1	RISHABH UPADHYAY	24661153452	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
2	NIDA US SAHR	24661046573	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
3	HARJOT KAUR SAINI	24661012595	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
4	RUDRA NARAYAN GAJENDRA	24661053700	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
5	PRIYANKA SHARMA	24661212940	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
6	AAKANKSHA GOSWAMI	24661222260	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
7	DEVENDRA KUMAR BORKER	24661156539	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'
8	MANSIHA DEWANGAN	24661020223	'क'	अपात्र	नहीं	हाँ	'ख'
9	SANDIP KUMAR PATIL	24661076288	'क'	अपात्र	नहीं	हाँ	'ख'

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


06/03/25

अध्यक्ष,

काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 2279 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025

रायपुर, दिनांक 06.03.2025


— / / आवश्यक सूचना / / —

छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2024 – सेवारत अभ्यर्थियों के सेवारत श्रेणी की पात्रता संबंधी सूचना

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा WPC No. 923/2025 Dr. P. Rajshekhar S/o. P. Laxmi Narayan and other Vs State Of Chhattisgarh and others में पारित आदेश, दिनांक 27/02/2025 के परिपालन में परीक्षण उपरांत निम्नांकित सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये सेवा प्रमाण-पत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अमान्य किये जाने के एवं संवीक्षा के उपरांत बोनस प्रतिशत अंक प्राप्त फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों की श्रेणी निम्नानुसार परिवर्तित की जाती है।

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	नीट रोल नं.	काउंसिलिंग के आवेदन में दर्ज की गई वरीयता	सेवारत श्रेणी हेतु पात्र/अपात्र	क्या एमबीबीएस छागो में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से पूर्ण किया ?	क्या छागो राज्य के मूल निवासी है (हां/नहीं)	प्रवेश में वरीयता	रिमांक
1	BHAVESH PATEL	24661048762	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त पत्र अनुसार।
2	RAKESH KUMAR SAHU	24661052212	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'	
3	CHANDRASHEKHAR VERMA	24661126127	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'	
4	DHANESHWARI	24661032247	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'	
5	PUSHPENDRA KUMAR SAHU	24661081178	'क'	अपात्र	हाँ	हाँ	'क'	केवल 02 वर्ष 01 माह का सेवा प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


अध्यक्ष, 06/03/25

काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.